उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-195/2015/1353/22-4-15-50(7नि0)/99टी0सी0

लखनऊ : दिनांक- 26 अक्टूबर, 2015

## शुद्धि- पत्र

प्रदेश की 10 संवेदनशील कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु मोबाईल फोन जैमर स्थापित किये जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-192/2015/1137/22-4-15-50(7नि0)/99टी0सी0, दिनांक 14.10.2015 में उल्लिखित लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-40-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के स्थान पर लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र " पढ़ा जाय।

आर0के0 द्विवेदी

विशेष कार्याधिकारी

संख्या-195/2015/1353(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) प्रबन्ध निदेशक, बी-2 शापिंग काम्पलेक्स , रिंग रोड नारायना, नई दिल्ली।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) वित्त ( व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)

विशेष कार्याधिकारी

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in